न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–6, लखीमपुर–खीरी ।
उपस्थित: अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–838/2026
कम्प्यूटर पंजीकरण सं०–1932/2026
CNR No. UPLP01–004428–2026

हेमराज पासी पुत्र महावीर पासी निवासी कानाखेड़ा, थाना मितौली जिला खीरी।

------- अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०राज्य --------विपक्षी।

मु०अ०सं०–05/2026
धारा–317(2), 331(4), 305(ए) बी०एन०एस०
थाना–मितौली,
जिला–लखीमपुर–खीरी ।

दिनांक–05–06–2026

प्रार्थी/अभियुक्त हेमराज पासी की ओर से मु०अ०सं०–05/2026, धारा– 317(2), 331(4), 305(ए) बी०एन०एस०, थाना मितौली, जिला–लखीमपुर–खीरी के मामले में जमानत पर मुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पर यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र प्रथम है। प्रार्थी का जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी सत्र न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क किया गया कि प्रार्थी/ अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/ अभियुक्त को रंजिश के आधार पर झूठा फंसाया गया है। उपरोक्त वाद में प्रार्थी/ अभियुक्त को दिनांक 06–04–2026 को उसके घर से 04:00 बजे सुबह गांव वालों के सामने पकड़कर लाये थे, उसके पास कोई बरामदगी नहीं हुई थी तथा उस समय पुलिस ने गिरफ्तारी के समय को वीडियो नहीं बनाया था। उक्त वाद मे पुलिस 07–04–26 को फर्जी बरामदगी और फर्जी घटनास्थल पर गिरफ्तारी की वीडियो बनाया है, इसी कारण कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। प्रार्थी/ अभियुक्त के पास से दिखायी गयी बरामदगी साधारण किस्म की है तथा कोई भी स्व–तंत्र साक्षी नहीं है। उपरोक्त वाद में सहअभियुक्त रामलखन की जमानत मा० न्यायालय उपर सत्र न्यायाधीश महोदय कोर्ट नं०–6 लखीमपुर खीरी के यहां से स्वीकार की जा चुकी है तथा प्रार्थी का केस उससे बेहतर है। प्रार्थी सजायाफ्ता अथवा हिस्ट्रीशीटर नहीं है। प्रार्थी की ग्राम प्रधान से चुनावी रंजिश है तथा धर्मेन्द्र का प्रथान के प्रधान के यहां आना जाना रहता है और प्रधान के कहने पर झूठे मुगदमें में फंसाया गया है। उपरोक्त वाद में आपराधिक इतिहास के आधार पर अभियुक्त की जमानत को निरस्त नहीं करना चाहिये, मो० आजम खां बनाम सरकार मा० उच्च न्यायालय विधि विरूद्ध है। अतः प्रार्थी/ अभियुक्त को दौरान वाद उचित जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

संक्षेप में, अभियोजन कथानक के अनुसार, दिनांक 2/3 जनवरी 2026 की रात्रि में अज्ञात चोर वादी मुकदमा अनुज कुमार के घर में रखे हुए करीब एक लाख रूपये व गहने जेवरात चोरी कर ले गये। सुबह करीब 05:00 बजे वादी मुकदमा की माता जी श्रीमती रानी देवी ने देखा कि बक्सों के ताले टूटे हुए थे तथा सामान बिखरा हुआ था।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

फर्द बरामदगी के अनुसार, दिनांक 07–04–26 को अभियुक्त हेमराज पासी के कब्जे से पहने पैन्ट की बायीं फेंट में खुसा हुआ एक अदद तमंचा 12 बोर व पहने पैन्ट की दाहिनी जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर तथा पहने पैन्ट की बायीं जेब से पांच सौ रूपये का एक नोट, दो सौ रूपये के आठ नोट, सौ रूपये के दो नोट अर्थात कुल मु०–2300/–रूपये बरामद हुए। प्रार्थी/ अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी/ अभियुक्त दिनांक 08.04.2026 से जेल में निरूद्ध है। मामले में सहअभियुक्त रामलखन की जमानत दिनांक 14–05–2026 को स्वीकार की जा चुकी है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।

उभयपक्षों के तर्कों पर विचार करने तथा प्रपत्रों का अवलोकन करने के उपरान्त मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **संजय चन्द्रा बनाम सी० बी०आई०, ए०आई०आर० 2012 सुप्रीम कोर्ट 830 एवं दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए०आई० आर० 2018 एस०सी० (क्रिमीनल) 425, 2018(3) ए०एल०जे० 159, ए०आई०आर० 2018 सुप्रीम कोर्ट 980, 2018(3) एस०सी०सी० 22** में प्रतिपादित किये गये विधि सिद्वान्त को दृष्टिगत रखते हुये जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित आधार उचित एवं पर्याप्त है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र बिना गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त हेमराज पासी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–838/2026, मु०अ०सं०–05/2026, धारा–317(2), 331(4), 305(ए) बी०एन०एस०, थाना मितौली, जिला–लखीमपुर–खीरी स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार अभियुक्त द्वारा मु० 50,000/–(पचास हजार रूपये) के स्वीयबंधपत्र व समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं० 6, लखीमपुर–खीरी।
JO CODE–UP1561

दिनांक 05–06–2026

Digitally signed by ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.06.05 17:29:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court